

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:- ग्रा. सो.शि/2025/ 397


प्रकरण सं.:- 276/2025
दिनांक:- 21/10/25

आदेश



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी दावा व मू.अ.
नि. नूना वगतिह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम इस्तीमल
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 109
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	दावा	109	1932/1010 1933/1010	इस्तीमल पुत्र मलजी	इस्तीमल पुत्र मलजी

क्रमांक:- सम./2025/ 398-400
प्रतिलिपि:-


(समदरसिंह भाटी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी
दिनांक:- 21/10/25

- तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
- प्राथी इस्तीमल/ममल दावा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी